

## कयर बोर्ड, कोच्चि

दि. 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

(रु 000 में)

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| (1) सामान्य व्यय "                       | 6,300           | 5,985           |
| (2) प्रशिक्षण                            | 41,484          | 29,531          |
| (3) उत्पाद विविधिकरण                     | 14,595          | 1,992           |
| (4) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण               | 7,198           | 17,564          |
| (5) निर्यात प्रोत्साहन व्यय              | -               | -               |
| (6) पूर्व अवधि के व्यय                   | -               | 9,109           |
| (7) कल्याणकारी उपाय                      | -               | -               |
| (8) आकस्मिक शुल्क                        | 79              | 55              |
| (9) अचल सम्पत्तियों की बिक्री पर हानि    | -               | -               |
| (10) स्वच्छ भारत अभियान                  | 2,077           | 1,826           |
| (11) पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क           | 36              | 182             |
| (12) पेटेंट नवीनीकरण शुल्क               | -               | -               |
| (13) मशीनरी का विकास                     | -               | -               |
| (14) प्रौद्योगिकी का विकास               | 2,737           | 3,978           |
| (15) आधुनिकीकरण                          | -               | -               |
| (16) बैंक शुल्क                          | 62              | 54              |
| (17) ऑडिट शुल्क                          | -               | -               |
| (18) मानदेय मुख्यालय                     | 1,384           | 122             |
| (19) अन्य - प्रौद्योगिकी हस्तांतरण       | -               | 1,907           |
| (20) फ्रील्ड प्रदर्शन                    | 941             | 325             |
| (21) कौशल अपग्रेडेशन - कार्यशाला         | 1,154           | 1,172           |
| (22) दस्तावेज़ीकरण एवं जानकारी संग्रह    | 10              | -               |
| (23) पुर्जो                              | 6               | -               |
| (24) डेटा प्रबंधन                        | 11,894          | -               |
| (25) इंटरनेट/कनेक्टिविटी/नेटवर्क शुल्क   | 1,197           | -               |
| (26) कौशल अपग्रेडेशन- जागरूकता कार्यक्रम | 1,179           | -               |
| (27) निर्यात प्रोत्साहन व्यय             | 199             | -               |
| (28) विविध व्यय एसआरओ कोलकाता            | 7               | -               |
| (29) राउंड ऑफ                            | 0               | -               |
| <b>कुल</b>                               | <b>3,59,151</b> | <b>1,72,072</b> |

ह/-  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

## कयर बोर्ड, कोच्चि

दि. 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

(₹ 000 में)

|  | 2022-2023     | 2021-2022     |
|--|---------------|---------------|
| <b>अनुसूची 22- अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय</b> |               |               |
| क) संस्थाओं / संगठनों को दिया गया अनुदान       | 46,893        | 95,962        |
| ख) संस्थानों / संगठनों को दी जाने वाली सब्सिडी |               |               |
| <b>कुल</b>                                     | <b>46,893</b> | <b>95,962</b> |
|  | 2022-2023     | 2021-2022     |
| <b>अनुसूची 23- ब्याज</b>                       |               |               |
| क) निश्चित ऋण पर                               |               |               |
| ख) अन्य ऋणों पर ( बैंक शुल्क सहित)             | -             | -             |
| ग) अन्य (निर्दिष्ट करे)                        | -             | -             |
| i) सदस्यता पर                                  | -             | -             |
| ii) ऋण पर ब्याज (भारत सरकार)                   | 689           | 854           |
| iii) पूर्व अवधि का ब्याज                       | -             | -             |
| <b>कुल</b>                                     | <b>689</b>    | <b>854</b>    |

ह/-  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

## कयर बोर्ड समेकित वित्तीय विवरण अनुसूची 24

### महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

#### 1. लेखांकन पद्धतियाँ

- 1.1 वित्तीय वितरणों को अन्यथा न कहा गया है, तो, रूढ़िगत तरीके से उठाए गए खर्च की लागत के आधार पर और प्रोद्भवन आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें अंशदान, अंशदान पर ब्याज, भविष्य निधि खाते में सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज बैंक खातों से प्राप्त ब्याज – जिन्हें नकद रूप में प्राप्त आय माना जाता है नहीं आते है।
- 1.2 कयर उद्यमी योजना, स्फूर्ति, एमडीए(डीएमडी), राष्ट्रिय अनुसंधान विकास केंद्र (एनआरडीसी) से प्राप्त निधि और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूहों के सरकार से प्राप्त निधि, सिंगाई क्लस्टर से प्राप्त निधि चिह्नांकित / धर्मस्व निधि के रूप में माना जाता है।
- 1.3 बोर्ड की ७ योजनाएँ या निधियाँ हैं। सभी योजनाओं / निधियों जैसे कि कयर विकास योजना, बाजार विकास सहायता निधि (डीएमडी), स्फूर्ति हिंदुस्तान कयर, जीपीएफ निधि, पेंशन निधि और कयर उद्यमी योजना से संबंधित वित्तीय विवरण अलग – अलग रूप से तैयार किए जाते है। जीपीएफ को छोड़कर इन सभी योजनाओं / निधियों को शामिल करके समेकित वित्तीय विवरण भी तैयार किया जाता है।
- 1.4 मियादी जमा, बचत लेखा और बिक्रयागम पर प्राप्त ब्याज को चिह्नांकित / धर्मस्व निधि के आय के रूप में माना जाएगा।
- 1.5 लेखों में आंकडो को हजारों में पूर्णांकित करके दर्शाया जाता है।

#### 2. वस्तुसूची मूल्यांकन

- 2.1 फर्नस तेल व रासायनिक, लेखन-सामग्री, सामान व स्पेयेर्स (मशीनरी स्पेयेर्स सहित) आदि को सामान व स्पेयेर्स के अंतर्गत लागत के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।
- 2.2 फैक्टरी में कच्चे मालों और अर्ध तैयार मालों का मूल्यांकन लागत व निवल वसूली योग्य मूल्य से कम दर में किया जाता है। शोरूमों में तैयार मालों का मूल्यांकन 15% कमीशन और 10% लाभ मार्जिन को कम करके किया जाता है। फैक्टरी में तैयार मालों का मूल्यांकन फैक्टरी मूल्य से परे किया जाता है।

#### 3. स्थायी परिसंपत्तियाँ

स्थाई परिसंपत्तियों को आवक भाडा, शुल्क एवं कर समेत अभिग्रहण लागत तथा अभिग्रहण संबंधी आकस्मिक व प्रत्यक्ष खर्चों में बताया जाता है।

#### 4. मूल्यहास

वर्षानुवर्ष लगातार दर्शानेवाले दरों पर मूल्यहासित बही मूल्य प्रणाली आधार पर मूल्यहास किया जाता है। 182 दिनों से कम अवधि में उपयुक्त की जानेवाली स्थायी परिसंपत्तियों पर स्वाभाविक दरों की आधी दरों में मूल्यहास दिया जाता है। मूल्यहास की दर निम्नलिखित है-

ह/-

वरिष्ठ लेखाधिकारी

| स्थायीपरिसंपत्तियाँ        | मूल्यहास की |
|----------------------------|-------------|
| मकान                       | 2.50%       |
| पुस्तकालय किताबें          | 10.00%      |
| कंप्यूटर/ सहायक उपकरण      | 40.00%      |
| फर्नीचर और फिक्स्चेर्स     | 6.00%       |
| मशीन औज़ार                 | 15.00%      |
| संयंत्र, मशीनरी एवं उपस्कर | 15.00%      |
| कार्यालय उपस्कर            | 15.00%      |
| वाहन                       | 15.00%      |
| प्रयोगशाला उपस्कर          | 15.00%      |
| विद्युत संस्थापनाएँ        | 15.00%      |
| फुटकर परिसंपत्तियाँ        | 10.00%      |
| औज़ार एवं उपस्कर           | 15.00%      |
| पेटेंट                     | 20.00%      |

पूँजी व्यय के लिए उपयुक्त इमदाद / अनुदान को मूल्यहास के परिकलन में नहीं लिया जाता है।

#### 5. बिक्री के लिए लेखांकन

बिक्री, बिक्री आय, छूट एवं व्यापार कटौती का कुल है।

#### 6. सरकारी अनुदान / इमदाद

पूँजीगत व्यय के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान को सामान्य रिजर्व के रूप में माना जाता है और पूँजीगत व्यय के उपयोग को आस्थगित ऋण देयत के रूप में माना जाता है।

#### 7. विदेशी मुद्राओं का लेन-देन

विदेशी मुद्राओं में अंकित लेन-देन को, लेन-देन की तिथि को लागू विनिमय दर में लेखांकित किया जाता है।

#### 8. सेवानिवृत्ति लाभ

8.1 सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को पेंशन देय, उपदान देय और नकदी देय प्रावधान करने की शुरुआत की है। तुरंत आसन्न वित्तीय वर्ष के अंत में निर्धारित बीमांकिक देयता के खातों में प्रावधान दिया गया है।

ह/-  
वरिष्ठ लेखाधिकारी

## अनुसूची 25

### प्रासंगिक देयताएँ और लेखों पर टिप्पणियाँ

#### 1. प्रासंगिक देयताएँ

1.1 बोर्ड के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया है – रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

1.2 के संबंध में:

- बोर्ड द्वारा / की ओर से दी गई बैंक गैरंटी रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)
- बैंक द्वारा बोर्ड की ओर से खोला गया साख – पत्र - रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)
- बैंकों से प्राप्त छूट बिलों - रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

1.3. तर्क – वितर्क की माँगों के संबंध में

आय - कर रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

बिक्री – कर रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

नगर – कर रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

1.4 आदेशों के गैर-निष्पादन किए जाने पर पार्टियों से प्राप्त दावों के संबंध में

#### 2. चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम

प्रबंधन के अनुसार, चालू परिसंपत्तियों, ऋण एवं अग्रिमों का सामान्य व्यापार क्रम में वसूली पर एक मूल्य है जो तुलन पत्र में दी गयी कुल राशि के लगभग समान है।

#### 3. कर निर्धारण

आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर योग्य आय नहीं होने से आयकर पर विचार करने के लिए कोई प्रावधान ज़रूरी नहीं है।

#### 4. विदेशी मुद्राओं का लेन – देन

2022-2023

2021-2022

##### 4.1. सीआईएफ आधार पर आकलित आयातों का मूल्य

- तैयार मालों की खरीद
- कच्चा माल व घटक (परिवहन सहित)
- पूँजी माल
- सामान्य, स्पेयर्स व उपभोज्य वस्तुएँ

शून्य

शून्य

##### 4.2 विदेशी मुद्रा में व्यय

- क) यात्रा
- ख) वित्तीय संस्थानों / बैंकों को विदेशी मुद्रा में अदायगी
- ग) अन्य व्यय

6,83,621

1,82,006

2,99,56,362

23,18,234

##### 4.3. उपार्जन

एफओबी के आधार पर निर्यात का मूल्य

शून्य

शून्य

##### 4.4 लेखा परीक्षकों के लिए पारिश्रमिक

- लेखा परीक्षक
- कर निर्धारण मामले
- प्रबंधकीय सेवाएँ
- प्रमाणन के लिए
- अन्य

शून्य

शून्य

ह/-

वरिष्ठ लेखा अधिकारी

5. प्रत्येक योजना / कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त निधि, चिह्नांकित / धर्मस्व निधि के अधीन अनुसूची – 3 में, उपर्युक्त योजना / कार्यकलापों के लिए हुए खर्च के साथ दिखाई गई है।
6. पिछले वर्ष (अनुसूची 21) के दौरान पूर्व अवधि का व्यय शून्य है।
7. पिछले वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों में पूंजीगत निधि को सामान्य भविष्य निधि की पूंजी निधि में कटौती के बाद आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि यह समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं है।
8. दी. 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार सहायता, अनुदान से अव्यय शेष :
 

|          |                |   |
|----------|----------------|---|
| सीयूवाई  | रु. 5.60 लाख   | (पीवाई: शून्य) (लाभार्थी बैंकों से सब्सिडी रिफंड) |
| स्फूर्ति | रु. 318.50 लाख | (पी वाई: रु. 1,114.90 लाख)                        |
9. अनुसूची संख्या 11 B (२सी – अन्य) में दर्शाई गई राशि रुपये की राशि काटने के बाद है। 1781.57/- उप कार्यालयों के पास दैनिक व्यय/क्षेत्रीय गतिविधियों/ चल रही परियोजनाओं के लिए लाख रुपये उपलब्ध हैं। इस राशि को चालू खाते पर अनुसूची – 11 – 4(ए) में बैंक शेष के साथ समूहीकृत किया गया था।
10. अनुसूची संख्या 2 (4 – सामान्य आरक्षित) में परिलक्षित राशि एनएचएआई द्वारा भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्राप्त 790.50/- लाख रुपये की राशि जोड़ने के बाद है।
11. वर्ष के दौरान ग्रेच्युटी, पेंशन और छुट्टी नकदीकरण की संचित देनदारी के लिए निम्नलिखित राशियाँ प्रदान की गई हैं।
 

|                   | 2022-2023            | 2021-2022         |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| ग्रेच्युटी देय    | : रु. (526.80)/-लाख  | रु. (100.39)/-लाख |
| पेंशन देय         | : रु. (409.13)/- लाख | रु. (373.88)/-लाख |
| देय अवकाश नकदीकरण | : रु. (163.92)/-लाख  | रु. (35.21)/- लाख |
12. अवकाश नकदीकरण दायित्व को कयर विकास योजना की पुस्तकों में प्रदर्शित किया गया है, जिसका भुगतान सीवीवाई खाते में दर्ज किया जाना है।
13. अवकाश नकदीकरण दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है।
14. कयर बोर्ड को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (29 ए) के तहत आयकर से छूट प्राप्त है।
15. अनुसूचियाँ 1 से 25 संलग्न हैं और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट और आय और व्यय खाते का एक अभिन्न अंग हैं।
16. जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के संबंध आकड़ों को पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
17. स्फूर्ति कयर समूहों द्वारा अप्रयुक्त निधि, स्फूर्ति खाते में पड़ी 199.61 लाख रुपये की राशि भारत सरकार को वापस लौटा दी गई।

ह/-  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

**कयर बोर्ड, कोच्चि**  
समेकित रसीदें और भुगतान या 31.03.2023 को समाप्त वर्ष

| प्राप्तियाँ             | 2022-2023 | 2021-2022 | भुगतान                               | 2022-2023 | 2021-2022 |
|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| I आरंभिक शेष            |           |           | I व्यय                               |           |           |
| क) नकद हाथ में          | -         | -         | क) स्थापना व्यय                      | 4,32,764  | 4,05,826  |
| ख) बैंक बैलेन्स         |           |           | (अनुसूची 20 के अनुरूप)               |           |           |
| i) चालू खातों में       | 13,432    | 1,30,554  | (अनुसूची 21 के अनुरूप)               | 2,40,237  | 57,066    |
| ii) जमा खातों में       | 2,59,679  | 1,37,596  | II के लिए निधियों के विरुद्ध विभिन्न |           |           |
| iii) बचत खाते में       | 1,75,941  | 3,71,846  | परियोजनाओं में भुगतान किया गया       |           |           |
| II अनुदान प्राप्त हुआ   |           |           | क) स्फूर्ति के तहत व्यय              | 16,217    | 2,13,999  |
| क) भारत सरकार से        |           |           | ख) एमडीए (डीएमडी) के तहत व्यय        | 6,242     | 4,422     |
| i) पूंजीगत उद्देश्य     | 18,900    | 18,900    | ग) सीयूवाईके तहत व्यय                | -         | -         |
| ii) राजस्व उद्देश्य     | 8,52,500  | 7,79,225  | घ) अन्य निर्धारित के तहत व्यय निधि   | -         | -         |
| iii) स्फूर्ति के लिए    | -         | -         | III निवेश और जमा किया गया            |           |           |
| iv) सीयूवाईके के लिए    | -         | -         | क) चिह्नकित/धर्मस्व निधियों से       |           |           |
| v) चिह्नकित/राजस्व निधि | -         | 70,370    | ख) स्वयं की निधि से (निवेश/अन्य)     | -         | -         |
| ख) राज्य सरकार से       | -         | -         | IV अचल सम्पत्तियों और                |           |           |
| ग) अन्य स्रोतों से      |           |           | पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय         |           |           |
| i) चिह्नकित/राजस्व निधि |           |           | क) अचल सम्पत्तियों की खरीद           | 5,500     | 2,127     |
| क) सीडीबी               |           |           | ख) पूंजीगत कार्य पर व्यय             | -         | -         |
| ख) आकाशा                |           |           | कार्य प्रगति पर है                   |           |           |
| ग) कयर बोर्ड से अनुदान  |           |           | V अधिशेष धन/ऋण की वापसी              |           |           |
| घ) सिगाई कयर क्लस्टर    |           |           | क) भारत सरकार को (ऋण)                |           |           |
| ii) एटीआई योजनाएँ       |           |           | भारत सरकार को (ब्याज)                | 1,090     | 1,350     |
| राजस्व उद्देश्य         |           |           |                                      |           |           |

ह/-  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

ह/-  
सचिव

ह/-  
अध्यक्ष

## कयर बोर्ड, कोच्चि समेकित रसीदें और भुगतान या 31.03.2023 को समाप्त वर्ष

|                               |        |       |   |   |          |          |
|-------------------------------|--------|-------|---|---|----------|----------|
| i) पेंशन अंशदान               | -      | -     | - | ख) राज्य सरकार को                       | 1,789    | 18,350   |
| ii) अनुदान कयर बोर्ड          | -      | -     | - | ग) निधि के अन्य प्रदाताओं               | -        | -        |
| iii) कयर बोर्ड (पेंशन योगदान) | -      | -     | - | घ) भारत सरकार को (अप्रयुक्त अनुदान)     | 19,961   | 38,262   |
| III एनएचएआई अधिग्रहण निधि     | 79,005 | -     | - | VI वित्त शुल्क (ब्याज)                  | -        | -        |
| IV से निवेश पर आय             | -      | -     | - | VII अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)      | 689      | 854      |
| क) चिह्नकित/राजस्व निधि       | -      | -     | - | क) वेतन/चिकित्सा अग्रिम                 | -        | -        |
| ख) स्वयं के फंड (अन्य निवेश)  | -      | -     | - | ख) अन्य अग्रिम                          | -        | -        |
| V प्राप्त ब्याज               | 13,957 | 4,809 | - | ग) अस्थायी अग्रिम                       | 1,93,119 | 2,74,029 |
| क) बैंक जमा पर                | -      | -     | - | घ) टीए अग्रिम                           | 1,285    | 1,043    |
| ख) ऋण, अग्रिम आदि             | -      | -     | - | ड.) प्रीपेड खर्च                        | 1,319    | 3,531    |
| VI अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें) | 926    | 3,945 | - | च) देय व्यय सीपीडब्लूडी के पास जमा करें | -        | -        |
| क) विविध आय                   | 100    | 28    | - | छ) देय व्यय                             | -        | -        |
| ख) रॉयल्टी / प्रकाशन से आय    | 2,722  | 3,294 | - | ज) कयर बोर्ड नॉन प्लान फंड              | 2,262    | 182      |
| ग) विक्री/सेवाओं से आय        | 5,986  | 5,759 | - | झ) कयर बोर्ड -एमडीए (डीएमडी)            | -        | -        |
| घ) शुल्क/सदस्यता              | -      | -     | - | ञ) निधि से ऋण                           | -        | -        |
| ड.) विज्ञापन शुल्क            | -      | 24    | - | ट) लेनदारोंको भुगतान                    | -        | -        |
| च) प्रशिक्षण शुल्क            | 28,498 | 9,631 | - | ठ) बिजली एवं जल शुल्क अग्रिम            | -        | -        |
| छ) जगह किराया                 | -      | -     | - | ड) हिंदुस्तान कयर                       | -        | -        |
| ज) समूह बीमा दावे             | 1      | -     | - | ढ) जीपीएफखाता                           | -        | -        |
| झ) आरटीआई रसीद                | -      | -     | - | ण) एचबीए/वीए/कंप्यूटर /कंप्यूटर अग्रिम  | -        | -        |
| VII उधार ली गई राशि           | -      | -     | - | त) बयाना राशि की वापसी                  | -        | -        |
| क) मंत्रालय से ऋण             | -      | -     | - | थ) समूह बीमा का भुगतान किया गया         | 45       | 179      |

वरिष्ठ लेखा अधिकारी

ह/-  
सचिव

ह/-  
अध्यक्ष



**कयर बोर्ड, कोच्चि**  
**समेकित रसीदें और भुगतान या 31.03.2023 को समाप्त वर्ष**

|            |                                  |                  |                  |  |  |                                |                  |                  |                  |
|------------|----------------------------------|------------------|------------------|--|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| VIII       | कोई अन्य रसीदें (ब्यौरा दें)     | 61               | 200              |  |  | द) अनुदान/सब्सिडी              | -                | -                |                  |
| क)         | बयान राशि जमा                    | 19               | -                |  |  | ध) कयर उद्यमी योजना (सीयूवाई)  | -                | -                | 95,962           |
| ख)         | समूह बीमा योजना                  | 21               | 456              |  |  | न) इंटर विभाग                  | -                | -                | -                |
| ग)         | एचबीए/वीए/कंप्यूटर सलाह की वसूली | -                | -                |  |  | प) अन्य जमा                    | -                | -                | -                |
| घ)         | देनदारों से वसूली                | 21,547           | 13,190           |  |  | फ) कयर बोर्ड - योजना (सीवीवाई) | -                | -                | -                |
| ड.)        | कमिशन                            | 873              | 4,113            |  |  | ब) एलटीसी अग्रिम               | -                | -                | -                |
| च)         | अन्य अग्रिम                      | -                | 1,773            |  |  | भ) सुरक्षा जमा राशि            | -                | -                | 134              |
| छ)         | टीए एडवांस                       | 1,710            | 563              |  |  | म) कयर बोर्ड जीपीएफ खाता       | 547              |                  |                  |
| ज)         | नकद बिक्री                       | 3,473            | 6,709            |  |  | य) किराया जमा                  | 232              |                  |                  |
| झ)         | एफडी पर अर्जित ब्याज             | -                | -                |  |  | र) प्रदर्शन की गारंटी          | -                |                  | 100              |
| ञ)         | जगह किराया                       | -                | -                |  |  | ल) वेतन/चिकित्सा अग्रिम        | -                |                  | 103              |
| ट)         | सुरक्षा जमा                      | -                | -                |  |  | व) पेंशन में योगदान            | 91               |                  | 300              |
| ठ)         | कयर बोर्ड स्फूर्ति               | -                | -                |  |  | श) नकद खरीद                    | -                |                  | -                |
| ड)         | बिजली एवं जल शुल्क सलाहकार       | -                | -                |  |  |                                | 1,363            |                  | -                |
| ढ)         | लाभार्थी से सब्सिडी वापसी        | 560              | 400              |  |  | समापन शेष                      | -                |                  | -                |
| ण)         | स्फूर्ति सहायता अनुदान           | -                | 3,300            |  |  | VIII नकद हाथ में               | -                |                  | -                |
| त)         | ब्याज - अन्य                     | 321              | 183              |  |  | क) बैंक बैलेंस                 | -                |                  | -                |
| थ)         | सीपीडब्ल्यूडी जमा का रिफंड       | -                | -                |  |  | ख) i) चालू खाते में            | 2,80,706         |                  | 13,432           |
| द)         | कयर बोर्ड जीपीएफ खाता            | -                | -                |  |  | ii) जमा खाते में               | 1,67,205         |                  | 2,59,679         |
| ध)         | वेतन/चिकित्सा अग्रिम             | -                | -                |  |  | iii) बचत खाते                  | 1,07,671         |                  | 1,75,941         |
| न)         | निष्पादन गारंटी                  | -                | -                |  |  |                                |                  |                  |                  |
| प)         | अन्य अग्रिम वापसी                | -                | -                |  |  |                                |                  |                  |                  |
| फ)         | अग्रिम किराया                    | 100              | -                |  |  |                                |                  |                  |                  |
| ब)         | प्राय - टीडीएस /जीएसटी           | -                | -                |  |  |                                |                  |                  |                  |
| भ)         | स्टाफ अग्रिम                     | -                | -                |  |  |                                |                  |                  |                  |
| <b>कुल</b> |                                  | <b>14,80,334</b> | <b>15,66,869</b> |  |  | <b>कुल</b>                     | <b>14,80,334</b> | <b>15,66,869</b> | <b>15,66,869</b> |

ह/-  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

ह/-  
सचिव

ह/-  
अध्यक्ष

## हिंदुस्तान कयर

## दी. 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र

(रु 000 में)

|   | अनुसूची | 2022-2023     | 2021-2022     |
|---|---------|---------------|---------------|
| <b>संग्रह/पूँजी निधि और देयताएँ</b>               |         |               |               |
| संग्रह / पूँजी निधि                               | 1       | (513)         | 3,026         |
| आरक्षित व अधिशेष                                  | 2       | -             | -             |
| चिह्नंकित / धर्मस्व निधियाँ                       | 3       | -             | -             |
| सुरक्षित ऋण एवं उधार                              | 4       | -             | -             |
| असुरक्षित ऋण एवं उधार                             | 5       | -             | -             |
| आस्थगित जमा देयताएँ                               | 6       | 2,065         | 2,065         |
| चालू देयताएँ व प्रावधान                           | 7       | 15,660        | 15,646        |
| <b>कुल</b>  |         | <b>17,212</b> | <b>20,737</b> |
|   |         |               |               |
|   | अनुसूची | 2022-2023     | 2021-2022     |
| <b>परिसंपत्तियाँ</b>                              |         |               |               |
| स्थायी परिसंपत्तियाँ                              | 8       | 971           | 1,018         |
| निवेश - चिह्नंकित / धर्मस्व निधियों से            | 9       | -             | -             |
| निवेश - अन्य                                      | 10      | -             | -             |
| चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि                | 11      | 16,241        | 19,719        |
| विविध खर्च<br>(बट्टे खाते में न डाले या समायोजित) |         |               |               |
| <b>कुल</b>  |         | <b>17,212</b> | <b>20,737</b> |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ                        | 24      |               |               |
| आनुषंगिक देयताएँ और लेखों पर टिप्पणियाँ           | 25      |               |               |

ह/-  
वरिष्ठ लेखाधिकारी

# हिंदुस्तान कयर

दि. 31.03.2023 के को समाप्त वर्ष का आय - व्यय लेखा

|   |                | (₹.000 में)  |              |
|---|----------------|--------------|--------------|
|   |                | 2021-2022    | 2022-2023    |
| <b>आय</b>   | <b>अनुसूची</b> |              |              |
| बिक्रियों/सेवाओं से प्राप्त आय  | 12             | 1,710        | 563          |
| अनुदान / इमदाद  | 13             | -            | -            |
| शुल्क/अभिदान  | 14             | -            | -            |
| निवेशों से आय (चिह्नकित/धर्मस्व निधियों से निधि में अंतरित निवेश पर आय) | 15             | -            | -            |
| रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय  | 16             | -            | -            |
| अर्जित आय   | 17             | 415          | 526          |
| अन्य आय   | 18             | 44           | 6            |
| तैयार मालों की स्टॉक में वृद्धि/(कमी) एवं काम में प्रगति                | 19             | 404          | (441)        |
| <b>कुल (क)</b>  |                | <b>2,573</b> | <b>653</b>   |
| <b>व्यय</b>   | <b>अनुसूची</b> |              |              |
| स्थापना व्यय  | 20             | 4,232        | 6,412        |
| अन्य प्रशासनिक व्यय आदि   | 21             | 1,822        | 1,232        |
| अनुदान, इमदाद आदि पर व्यय   | 22             | -            | -            |
| ब्याज   | 23             | -            | -            |
| मूल्यहास (वर्ष के अंत में निवल कुल - अनुसूची 8 के तदनु रूप)             | 8              | 57           | 66           |
| <b>कुल (ख)</b>  |                | <b>6,111</b> | <b>7,709</b> |
| व्यय से अधिक आय होने से शेष राशि(क-ख)                                   |                | (3,538)      | (7,056)      |
| विशेष आरक्षित को अंतरण (हरेक को निर्धारित)                              |                |              |              |
| सामान्य आरक्षित को / से अंतरण   |                |              |              |
| <b>संग्रह/वृत्ती निधि में अधिशेष / घाटा ले जाने से शेष राशि</b>         |                |              |              |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ  | 24             | (3,538)      | (7,056)      |
| आधुनिक देयताएँ और लेखों पर टिप्पणियाँ                                   | 25             |              |              |

ह/-

वरिष्ठ लेखाधिकारी

## हिंदुस्तान कयर

दि. 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

(रु.000 में)

|   | 2022-2023 |       | 2021-2022 |       |
|---|-----------|-------|-----------|-------|
|   |           |       |           |       |
| <b>अनुसूची 1 - संग्रह/पूँजी निधि :</b>                |           |       |           |       |
| वर्षरिभ में शेष                                       | 3,026     |       | 10,082    |       |
| जोड़: संग्रह/पूँजी निधि के लिए अंशदान                 |           |       |           |       |
| जोड़/(घटा): आय-व्यय खाते से अंतरित निवल आय/(व्यय) शेष |           |       |           |       |
| आय और व्यय खाते से स्थानांतरित किया गया               | (3,538)   | (513) | (7,056)   | 3,026 |
| वर्ष के अंत में शेष                                   |           | (513) |           | 3,026 |
| <b>अनुसूची 2 - आरक्षित एवं अधिशेष :</b>               |           |       |           |       |
| 1. पूँजी आरक्षित :                                    |           |       |           |       |
| अंतिम लेखे के अनुसार                                  | -         |       | -         |       |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन                                | -         |       | -         |       |
| घटा: वर्ष के दौरान कटौती                              | -         | -     | -         | -     |
| 2. पुनर्मूल्यन आरक्षित :                              |           |       |           |       |
| अंतिम लेखे के अनुसार                                  | -         |       | -         |       |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन                                | -         |       | -         |       |
| घटा: वर्ष के दौरान कटौती                              | -         | -     | -         | -     |
| 3. विशेष आरक्षित :                                    |           |       |           |       |
| अंतिम लेखे के अनुसार                                  | -         |       | -         |       |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन                                | -         |       | -         |       |
| घटा: वर्ष के दौरान कटौती                              | -         | -     | -         | -     |
| 4. सामान्य आरक्षित :                                  |           |       |           |       |
| अंतिम लेखे के अनुसार                                  | -         |       | -         |       |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन                                | -         |       | -         |       |
| घटा: वर्ष के दौरान कटौती                              | -         | -     | -         | -     |
| <b>कुल</b>  |           |       |           |       |

ह/-  
वरिष्ठ लेखाधिकारी

## हिंदुस्तान कयर

दि. 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

(₹.000 में)

|   | निधि - वार ब्योरा |           |         |           | कुल     |           |
|---|-------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|   | 2022-23           | 2021-2022 | 2022-23 | 2021-2022 | 2022-23 | 2021-2022 |
| <b>अनुसूची 3 - चिह्नांकित/धर्मस्व निधियाँ</b> |                   |           |         |           |         |           |
| क) निधियों का आदि शेष :                       | -                 | -         | -       | -         | -       | -         |
| ख) निधियों में परिवर्तन:                      |                   |           |         |           |         |           |
| i. दान/अनुदान                                 | -                 | -         | -       | -         | -       | -         |
| ii. निधियों के रूप में जमा निवेशों से आय      | -                 | -         | -       | -         | -       | -         |
| iii. अन्य परिवर्धन (प्रकार बताएँ)             | -                 | -         | -       | -         | -       | -         |
| <b>कुल (क+ख)</b>                              | -                 | -         | -       | -         | -       | -         |
| ग) निधियों के लक्ष्यों की उपयोगिता/व्यय :     |                   |           |         |           |         |           |
| i. पूँजी व्यय                                 |                   |           |         |           |         |           |
| स्थायी परिसंपत्तियाँ                          | -                 | -         | -       | -         | -       | -         |
| अन्य  | -                 | -         | -       | -         | -       | -         |
| कुल   | -                 | -         | -       | -         | -       | -         |
| ii. राजस्व व्यय                               |                   |           |         |           |         |           |
| वेतन, मज़दूरी तथा भत्ता आदि                   | -                 | -         | -       | -         | -       | -         |
| किराया  | -                 | -         | -       | -         | -       | -         |
| अन्य प्रशासनिक खर्च                           | -                 | -         | -       | -         | -       | -         |
| कुल   | -                 | -         | -       | -         | -       | -         |
| <b>कुल (ग)</b>                                | -                 | -         | -       | -         | -       | -         |
| वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)              | -                 | -         | -       | -         | -       | -         |

र/-  
वरिष्ठ लेखाधिकारी

**कयर बोर्ड, कोच्चि**  
दि. 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

2022-23



वार्षिक प्रतिवेदन

| अनुसूची 4 - सुरक्षित ऋण एवं उधार : | 2022-2023 |   | 2021-2022 |   |
|------------------------------------|-----------|---|-----------|---|
|                                    |           |   |           |   |
| 1. केंद्र सरकार                    | -         | - | -         | - |
| 2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)  | -         | - | -         | - |
| 3. वित्तीय संस्थाएँ                |           |   |           |   |
| क) मियादी ऋण                       | -         | - | -         | - |
| ख) प्रोद्भूत ब्याज एवं देय         | -         | - | -         | - |
| 4. बैंक:                           |           |   |           |   |
| क) मियादी ऋण                       | -         | - | -         | - |
| प्रोद्भूत ब्याज एवं देय            | -         | - | -         | - |
| ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)      | -         | - | -         | - |
| प्रोद्भूत ब्याज एवं देय            | -         | - | -         | - |
| 5. अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण        | -         | - | -         | - |
| 6. डिबेंचर एवं बॉण्ड               | -         | - | -         | - |
| 7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)         | -         | - | -         | - |
| <b>कुल</b>                         |           |   |           |   |

ह/-  
वरिष्ठ लेखाधिकारी

## हिंदुस्तान कयर

दि. 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

(₹.000 में)

|   | 2022-2023    |  | 2021-2022    |
|---|--------------|--|--------------|
| <b>अनुसूची 5 - असुरक्षित ऋण एवं उधार :</b>                                |              |  |              |
| 1. केंद्र सरकार   | -            |  | -            |
| 2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)   | -            |  | -            |
| 3. वित्तीय संस्थाएँ   | -            |  | -            |
| 4. बैंक:  |              |  |              |
| क) मियादी ऋण  | -            |  | -            |
| ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)   | -            |  | -            |
| 5. अन्य संगठन एवं अभिकरण  | -            |  | -            |
| 6. डिबेंचर एवं बॉड  | -            |  | -            |
| 7. स्थायी निक्षेप   | -            |  | -            |
| 8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) - अभिदान                                       | -            |  | -            |
| <b>कुल</b>  | -            |  | -            |
|   |              |  |              |
|   | 2022-2023    |  | 2021-2022    |
| <b>अनुसूची 6 - आस्थगित जमा देयताएँ :</b>                                  |              |  |              |
| क) पूँजी उपस्कर एवं अन्य परिसंपत्तियों के बंधक रखने से अर्जित स्वीकृतियाँ | -            |  | -            |
| ख) अन्य   | -            |  | -            |
| i) करघों की संरचना के लिए निक्षेपित राशि                                  | -            |  | -            |
| ii) कयर बोर्ड सीवीवाई निधि  | 2,065        |  | 2,065        |
| iii) कयर बोर्ड सीवीवाई स्थापना खर्च                                       |              |  | -            |
| <b>कुल</b>  | <b>2,065</b> |  | <b>2,065</b> |

ह/-  
वरिष्ठ लेखाधिकारी

## हिंदुस्तान कयर दि.31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

(रु.000 में)

| अनुसूची 7 - चालू देयताएँ और प्रावधान | 2022-2023       |               | 2021-2022 |               |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|
|                                      | क. चालू देयताएँ |               |           |               |
| 1.स्वीकृति                           |                 | -             | -         | -             |
| 2. फुटकर लेनदार :                    |                 |               |           |               |
| क) माल के लिए                        | 303             |               | 260       |               |
| ख) अन्य                              |                 | 303           |           | 260           |
| 3.प्राप्त अग्रिम                     |                 |               |           | -             |
| 4.प्रोद्भूत ब्याज लेकिन न देय :      |                 |               |           |               |
| क) सुरक्षित ऋण/उधार                  | -               |               | -         |               |
| ख) असुरक्षित ऋण/उधार                 | -               | -             | -         | -             |
| 5. वैधानिक देयताएँ :                 |                 |               |           |               |
| क) अतिदेय                            | -               |               | -         |               |
| ख) अन्य - ईएसआई और भविष्य निधि       | -               | -             | -         | -             |
| 6.अन्य चालू देयताएँ                  | 15,357          | 15,357        | 15,386    | 15,386        |
| <b>कुल (क)</b>                       |                 | <b>15,660</b> |           | <b>15,646</b> |
| ख. प्रावधान                          |                 |               |           |               |
| 1. कर - निर्धारण                     |                 | -             |           | -             |
| 2. उपदान                             |                 | -             |           | -             |
| 3.अधिवर्षिता/पेंशन                   |                 | -             |           | -             |
| 4. संचित छुट्टी भुनाना               |                 | -             |           | -             |
| 5. व्यापार वारंटी/दावा               |                 | -             |           | -             |
| 6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)           |                 | -             |           | -             |
| कुल (ख)                              |                 | -             |           | -             |
| कुल (क+ख)                            |                 | <b>15,660</b> |           | <b>15,646</b> |

ह/-  
वरिष्ठ लेखाधिकारी



**हिंदुस्तान कयर**  
**दि. 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियाँ**

(₹.000 में)

| अनुसूची 8 - स्थायी परिसंपत्तियाँ   | 01-04-2022 के दौरान लागत/मूल्यांकन | वर्ष के दौरान जोड़ | वर्ष के दौरान कटौती | 31/03/2023 के दौरान लागत/मूल्यांकन | दि. 01-04-2022 के लिए | पूर्व अवधि कटौती | वर्ष के दौरान जोड़ | वर्ष के दौरान कटौती | दि. 31/03/2023 के दौरान कुल | दि. 31/03/2023 के अनुसार | दि. 31/03/2022 के अनुसार |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| क. स्थायी परिसंपत्तियाँ विवरण      |                                    |                    |                     |                                    |                       |                  |                    |                     |                             |                          |                          |
| 1. भूमि                            | -                                  | -                  | -                   | -                                  | -                     | -                | -                  | -                   | -                           | -                        | -                        |
| क) पूर्ण स्वामित्व                 |                                    |                    |                     |                                    |                       |                  |                    |                     |                             |                          |                          |
| ख) पट्टाधृति                       |                                    |                    |                     |                                    |                       |                  |                    |                     |                             |                          |                          |
| 2. मकान                            | 1,233                              | -                  | -                   | 1,233                              | 432                   | 20               | 452                | 801                 | 781                         | -                        | -                        |
| क) पूर्ण स्वामित्व                 |                                    |                    |                     |                                    |                       |                  |                    |                     |                             |                          |                          |
| ख) पट्टाधृति भूमि                  |                                    |                    |                     |                                    |                       |                  |                    |                     |                             |                          |                          |
| ग) स्वामित्व ध्वैट/भवन             |                                    |                    |                     |                                    |                       |                  |                    |                     |                             |                          |                          |
| घ) बोर्ड के स्वामित्व में          |                                    |                    |                     |                                    |                       |                  |                    |                     |                             |                          |                          |
| न होनेवाली भूमि पर                 |                                    |                    |                     |                                    |                       |                  |                    |                     |                             |                          |                          |
| 3. संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण       | 522                                | 10                 | -                   | 522                                | 467                   | 8                | 476                | 55                  | 476                         | 47                       | 55                       |
| 4. वाहन                            | 4                                  | -                  | -                   | 4                                  | 3                     | 0                | 3                  | 2                   | 3                           | 1                        | 2                        |
| 5. फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स          | 204                                | -                  | -                   | 204                                | 121                   | 5                | 126                | 83                  | 126                         | 78                       | 83                       |
| 6. कार्यालय उपकरण                  | 101                                | -                  | -                   | 101                                | 80                    | 3                | 83                 | 21                  | 83                          | 17                       | 21                       |
| 7. कंप्यूटर / सहायक उपकरण          | 443                                | 10                 | -                   | 454                                | 408                   | 18               | 426                | 36                  | 426                         | 28                       | 36                       |
| 8. विद्युत संचयनार्थ               |                                    |                    |                     |                                    |                       |                  |                    |                     |                             |                          |                          |
| 9. पुस्तकालय                       |                                    |                    |                     |                                    |                       |                  |                    |                     |                             |                          |                          |
| 10 नलकूप एवं जलवितरण               |                                    |                    |                     |                                    |                       |                  |                    |                     |                             |                          |                          |
| 11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियाँ      |                                    |                    |                     |                                    |                       |                  |                    |                     |                             |                          |                          |
| क) फुटकर परिसंपत्तियाँ             | 104                                | -                  | -                   | 104                                | 87                    | 2                | 88                 | 17                  | 88                          | 15                       | 17                       |
| ख) औजार एवं उपकरण                  | 54                                 | -                  | -                   | 54                                 | 51                    | 1                | 51                 | 4                   | 51                          | 3                        | 4                        |
| ग) मशीन औजार                       |                                    |                    |                     |                                    |                       |                  |                    |                     |                             |                          |                          |
| घ) प्रयोगशाला उपकरण                |                                    |                    |                     |                                    |                       |                  |                    |                     |                             |                          |                          |
| ड. पेटेंट                          |                                    |                    |                     |                                    |                       |                  |                    |                     |                             |                          |                          |
| चालू वर्ष के लिए कुल               | 2,666                              | 10                 | -                   | 2,676                              | 1,648                 | 57               | 1,705              | 1,018               | 1,705                       | 971                      | 1,018                    |
| पिछली वर्ष                         | 2,632                              | 34                 | -                   | 2,666                              | 1,582                 | 66               | 1,648              | 1,050               | 1,648                       | 1,018                    | 1,050                    |
| <b>ख. पूँजी कार्य - प्रगति में</b> |                                    |                    |                     |                                    |                       |                  |                    |                     |                             |                          |                          |
| <b>कुल</b>                         | <b>2,666</b>                       | <b>10</b>          | <b>-</b>            | <b>2,676</b>                       | <b>1,648</b>          | <b>57</b>        | <b>1,705</b>       | <b>1,018</b>        | <b>1,705</b>                | <b>971</b>               | <b>1,018</b>             |

ह/-  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

हिंदुस्तान कयर  
दि. 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

(रु. 000 में)

|  | 2022-2023 | 2021-2022 |
|--|-----------|-----------|
| <b>अनुसूची 9 - चिह्नांकित/धर्मस्व निधियों से निवेश :</b> |           |           |
| 1. सरकारी प्रतिभूतियाँ                                   | -         | -         |
| 2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ                            | -         | -         |
| 3. शेयर  | -         | -         |
| 4. डिबेंचर एवं बॉड                                       | -         | -         |
| 5. सहायक संस्थाएँ और संयुक्त उद्यम                       | -         | -         |
| 6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)                               | -         | -         |
| कुल  | -         | -         |
|  | 2022-2023 | 2021-2022 |
| <b>अनुसूची 10 - निवेश अन्य :</b>                         |           |           |
| 1. सरकारी प्रतिभूतियाँ                                   | -         | -         |
| 2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ                            | -         | -         |
| 3. शेयर  | -         | -         |
| 4. डिबेंचर एवं बॉड                                       | -         | -         |
| 5. सहायक संस्थाएँ और संयुक्त उद्यम                       | -         | -         |
| 6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)                               | -         | -         |
| कुल  | -         | -         |

ह/-  
वरिष्ठ लेखाधिकारी

**हिंदुस्तान कयर  
दी. 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूचियाँ**

(रु. 000 में)

| अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि  | 2022-2023 |               | 2021-2022 |               |
|--|-----------|---------------|-----------|---------------|
|  |           |               |           |               |
| क. चालू परिसंपत्तियाँ :-                         |           |               |           |               |
| 1. माल सूची :                                    |           |               |           |               |
| क) स्टोर्स और स्पेयर्स                           | 21        |               | 205       |               |
| ख) पैकिंग माल                                    | -         |               | -         |               |
| ग) लूस टूल्स                                     | -         |               | -         |               |
| घ) व्यापार स्टॉक                                 | -         |               | -         |               |
| तैयार माल  | 450       |               | 47        |               |
| कार्य - प्रगति में                               | 4         |               | 4         |               |
| कच्चा माल  | 347       | 822           | 347       | 603           |
| 2. फुटकर देनदार :                                |           |               |           |               |
| क) 6 महीने से अधिक काल के लिए बकाया ऋण           | -         |               | -         |               |
| कम: विविध देनदारों के लिए प्रावधान               | -         |               | -         |               |
| ख) अन्य  | 1         | 1             | 1         | 1             |
| 3. हाथ रोकड शेष (चेक / ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित ) |           |               |           |               |
| 4. बैंक शेष :                                    |           |               |           |               |
| क) अनुसूचित बैंक :                               |           |               |           |               |
| चालू खाता  | 5,538     |               | 3,078     |               |
| जमा खाता (अतिरिक्त राशि सहित)                    | 5,778     |               | 12,095    |               |
| बचत खाता   |           | 11,612        |           | 15,172        |
| ख) गैर - अनुसूची बैंक :                          |           |               |           |               |
| चालू खाता  |           |               |           |               |
| जमा खाता   |           |               |           |               |
| बचत खाता   |           |               |           |               |
| 5. डाकघर - बचत खाता :-                           |           |               |           |               |
| <b>कुल (क)</b>                                   |           | <b>12,435</b> |           | <b>15,776</b> |

ह/-  
वरिष्ठ लेखाधिकारी

## हिंदुस्तान कयर दी. 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

(रु. 000 में)

| अनुसूची 11- चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि :   | 2022-2023     |       | 2021-2022 |               |
|--|---------------|-------|-----------|---------------|
|  |               |       |           |               |
| ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ  |               |       |           |               |
| 1. ऋण  |               |       |           |               |
| क) कर्मचारी  | 121           |       | 124       |               |
| ख) कार्यक्रमों में भाग लेनेवाले अन्य/अन्य के समान सदृश लक्ष्य                                      | -             |       |           |               |
| ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)   |               | 121   |           | 124           |
| 2. नकद के रूप में या अन्य प्रकार या प्राप्य मूल्यों के रूप में वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशियाँ |               |       |           |               |
| क) पूँजी खाता  | -             |       | -         |               |
| ख) पूर्व भुगतान  | -             |       | -         |               |
| ग) अन्य  | 3,623         | 3,623 | 3,741     | 3,741         |
| 3. प्रोद्भूत आय  |               |       |           |               |
| क) चिह्नांकित/धर्मस्व निधियों से निवेश   |               |       |           |               |
| ख) निवेश - अन्य  |               |       |           |               |
| ग) ऋण एवं अग्रिम   |               |       |           |               |
| घ) अन्य - एमडीए  |               |       |           |               |
| (वसूली के लिए देय आय सहित रु.....)   |               |       |           |               |
| ड.) स्थायी निक्षेप पर प्रोद्भूत ब्याज  | 5,480         |       | 3,473     |               |
| 4. प्राप्य दावे  | 62            | 62    | 78        | 78            |
|  |               |       |           |               |
|  |               |       |           |               |
|  |               |       |           |               |
|  |               |       |           |               |
|  |               |       |           |               |
| <b>कुल (ख)</b>   | <b>3,806</b>  |       |           | <b>3,943</b>  |
| <b>कुल (क+ख)</b>   | <b>16,241</b> |       |           | <b>19,719</b> |

ह/-  
वरिष्ठ लेखाधिकारी

हिंदुस्तान कयर  
दी. 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समेकित आय और व्यय संबंधी अनुसूचियाँ

(रु.000 में)

|  | 2022-2023 | 2021-2022 |
|--|-----------|-----------|
| <b>अनुसूची 12 - बिक्रियों/सेवाओं से आय :</b> |           |           |
| 1. बिक्रियों से आय                           |           |           |
| क) तैयारित मालों की बिक्री                   | 1,710     | 563       |
| ख) कच्चे माल की बिक्री                       | -         | -         |
| ग) अवशिष्टों की बिक्री                       | -         | -         |
| 2. सेवाओं से आय                              | -         | -         |
| क) मजदूरों एवं संसाधन प्रभार                 | -         | -         |
| ख) व्यावसायिक/परामर्शी सेवाएँ                | -         | -         |
| ग) अभिकरण कमीशन एवं दलाली                    | -         | -         |
| घ) अनुरक्षण सेवाएँ (उपस्कर/संपत्ति)          | -         | -         |
| ड) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)                   | -         | -         |
| कुल  | 1,710     | 563       |
|  | 2022-2023 | 2021-2022 |
| <b>अनुसूची 13 - अनुदान/इमदाद</b>             |           |           |
| (प्राप्त अविकल्पी अनुदान/इमदाद)              |           |           |
| 1. केंद्र सरकार                              | -         | -         |
| 2. राज्य सरकार (रैं)                         | -         | -         |
| 3. सरकारी अभिकरण                             | -         | -         |
| 4. संस्था/कल्याणकारी निकाय                   | -         | -         |
| 5. अंतराष्ट्रीय संगठन                        | -         | -         |
| 6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)                   | -         | -         |
| कयर बोर्ड (एमडीए)                            | -         | -         |
| कुल  | -         | -         |

ह/-  
वरिष्ठ लेखाधिकारी

## हिंदुस्तान कयर दी. 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समेकित आय और व्यय संबंधी अनुसूचियाँ

(रु.000 में)

|                                   | 2022-2023 | 2021-2022 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| <b>अनुसूची 14 -शुल्क / अभिदान</b> |           |           |
| 1. प्रवेश शुल्क                   | -         | -         |
| 1) प्रवेश शुल्क                   | -         | -         |
| 2) वार्षिक शुल्क / अभिदान         | -         | -         |
| 3) संगोष्ठी / कार्यक्रम शुल्क     | -         | -         |
| 4) परामर्श शुल्क                  | -         | -         |
| 5) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)        | -         | -         |
| <b>कुल</b>                        | -         | -         |

ह/-  
वरिष्ठ लेखाधिकारी

## हिंदुस्तान कयर दी. 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समेकित आय और व्यय संबंधी अनुसूचियाँ

(रु.000 में)

|  | चिह्नांकित निधि से निवेश |           | अन्य निवेश |           |
|--|--------------------------|-----------|------------|-----------|
|  | 2022-2023                | 2021-2022 | 2022-2023  | 2021-2022 |
| <b>अनुसूची 15 - निवेशकों से आय :</b>     |                          |           |            |           |
| 1. ब्याज                                 |                          |           |            |           |
| क) सरकारी प्रतिभूतियाँ                   | -                        | -         | -          | -         |
| ख) अन्य बॉन्ड/ डिबेंचर                   | -                        | -         | -          | -         |
| 2. लाभांश                                |                          |           |            |           |
| क) शेयर                                  | -                        | -         | -          | -         |
| ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियाँ             | -                        | -         | -          | -         |
| 3. किराया                                |                          |           |            |           |
| 4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)               |                          |           |            |           |
| <b>कुल</b>                               |                          |           |            |           |
| चिह्नांकित/बंदोबस्ती निधि में हस्तांतरित |                          |           |            |           |

ह/-  
वरिष्ठ लेखाधिकारी

**हिंदुस्तान कयर**  
**दी. 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समेकित आय और व्यय संबंधी अनुसूचियाँ**

(रु.000 में)

|  | 2022-2023  | 2021-2022  |
|--|------------|------------|
| <b>अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय</b> |            |            |
| 1) रॉयल्टी से प्राप्त आय                       | -          |            |
| 2) प्रकाशनों से प्राप्त आय                     |            |            |
| 3) अन्य (निर्दिष्ट करें)                       |            |            |
| <b>कुल</b>                                     |            |            |
| <b>अनुसूची 17 -उपार्जित ब्याज</b>              |            |            |
| 1) सावधि निक्षेप                               |            |            |
| क) अनुसूचित बैंक                               | 415        | 526        |
| ख) गैर - अनुसूचित बैंक                         |            |            |
| ग) संस्थाएँ                                    |            |            |
| घ) अन्य : सरकारी प्रतिभूति पर ब्याज            |            |            |
| 2) बचत खाते पर :-                              |            |            |
| क) अनुसूची बैंक                                | -          | -          |
| ख) गैर - अनुसूचित बैंक "                       | -          | -          |
| ग) डाकघर बचत खाता                              | -          | -          |
| घ) अन्य  | -          | -          |
| 3) ऋण  |            |            |
| क) कर्मचारी / स्टाफ                            | -          | -          |
| ख) अन्य  |            |            |
| 4) देनदारों तथा अन्य प्राप्यों पर ब्याज        |            | -          |
| <b>कुल</b>                                     | <b>415</b> | <b>526</b> |

ह/-  
वरिष्ठ लेखाधिकारी

## हिंदुस्तान कयर दी. 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समेकित आय और व्यय संबंधी अनुसूचियाँ

(रु.000 में)

|   | 2022-2023    | 2021-2022    |
|---|--------------|--------------|
| <b>अनुसूची 18 - अन्य आय</b>   |              |              |
| 1) बिक्री/परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ  |              |              |
| क) स्वाधिकृत परिसंपत्तियाँ  |              |              |
| ख) अनुदान स्वरूप या मुफ्त में प्राप्त परिसंपत्तियाँ                               |              |              |
| 2) प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन   |              |              |
| 3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क  |              |              |
| 4) विविध आय   | 44           | 6            |
| 6) ग्रेच्युटी   | -            |              |
| 7) पेंशन  | -            |              |
| 8) पूर्वविधि आय   | -            | -            |
| 9) प्राप्त बीमा दावा  | -            | -            |
| <b>कुल</b>  | <b>44</b>    | <b>6</b>     |
|   | 2022-2023    | 2021-2022    |
| <b>अनुसूची 19 - तैयारी माल के स्टॉक में वृद्धि / (कमी) तथा कार्य - प्रगति में</b> |              |              |
| क) अंत स्टॉक :-   |              |              |
| तैयारी माल  | 450          | 47           |
| कार्य - प्रगति में  | 4            | 4            |
| ख) घटा: प्रारंभिक स्टॉक :-  |              |              |
| तैयारी माल  | 47           | 488          |
| कार्य - प्रगति में  | 4            | 4            |
| निवल वृद्धि / (कमी) (क-ख)   | 404          | 441          |
|   | 2022-2023    | 2021-2022    |
| <b>अनुसूची 20 - स्थापना खर्च</b>  |              |              |
| क) वेतन और मज़दूरी  | 3,396        | 4,270        |
| ख) भत्ता और बोनस  | -            | -            |
| ग) भविष्य निधि के लिए अंशदान  | -            | 12           |
| घ) अन्य निधि के लिए अंशदान (विनिर्दिष्ट करें)                                     | -            | -            |
| ड.) कर्मचारी कल्याण खर्च  | 20           | 31           |
| च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवान्त लाभ पर व्यय                             | 699          | 1,648        |
| छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)  | -            | -            |
| (i) एलटीसी दावा   | 118          | -            |
| <b>कुल</b>  | <b>4,232</b> | <b>6,412</b> |

ह/-  
वरिष्ठ लेखाधिकारी



हिंदुस्तान कयर  
दी. 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समेकित आय और व्यय संबंधी अनुसूचियाँ

(रु.000 में)

|   | 2022-2023    | 2021-22      |
|---|--------------|--------------|
| <b>अनुसूचियाँ 21 -अन्य प्रशासनिक खर्च</b>         |              |              |
| क) कच्चे माल और सामग्रियों का उपभोग               | 1,590        | 465          |
| ख) श्रम व संसाधन खर्च                             |              |              |
| ग) कार्टेज और माल ले जाने का भाड़ा                |              |              |
| घ) विद्युत और बिजली                               |              |              |
| ङ) जल प्रभार                                      | -            | 0            |
| च) बीमा   | 52           | 70           |
| छ) मरम्मत और अनुरक्षण                             | 17           | 12           |
| ज) उत्पाद शुल्क                                   |              |              |
| झ) किराया, दर व कर                                | 21           | 40           |
| ञ) वाहन परिचालन और अनुरक्षण                       |              |              |
| ट) डाक, दूरभाष व संचार - प्रभार                   | 15           | 18           |
| ठ) मुद्रण और लेखन सामग्रियों                      | 13           | 11           |
| ड) यात्रा और वाहन खर्च                            | 6            | 4            |
| ढ) संगोष्ठी/कार्यशाला का खर्च                     |              |              |
| ण) अभिदान खर्च                                    | 3            | 2            |
| त) शुल्क खर्च                                     |              |              |
| थ) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक                    |              |              |
| द) आतिथ्य खर्च                                    |              |              |
| ध) व्यावसायिक प्रभार                              |              |              |
| न) आशोध्य व संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान |              |              |
| प) बट्टे - खाते में डाले लावसूल शेष               |              |              |
| फ) पैकिंग प्रभार                                  |              |              |
| ब) माल भाड़ा और अग्रेषित खर्च                     |              |              |
| भ) वितरण खर्च                                     |              |              |
| म) विज्ञापन व प्रचार                              |              |              |
| य) अन्य - (विनिर्दिष्ट करें)                      |              |              |
| i) सामान्य खर्च                                   | 75           | 19           |
| ii) कार्यालय खर्च                                 |              |              |
| iii) बैंक प्रभार                                  | 30           | 29           |
| iv) पूर्णांक में                                  | 0            | 0.00         |
| v) पूर्व अवधि व्यय                                | -            | 563          |
| <b>कुल</b>  | <b>1,822</b> | <b>1,232</b> |

ह/-  
वरिष्ठ लेखाधिकारी